तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह... हुक्म को ... में जारी हु...
03/01/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता बहस करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-10/01/2023 को पेश हो।	
10/01/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिंखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

दिनांक : 10/01/2023

क्रमांक : वाद / 2022 / 73

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लूम्बाराम पुत्र जुगताराम जाति जाट, निवासी मिठियातला ,बायतु पनजी ,तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. डूगराराम पुत्र मूलाराम वगैरा 05, जाति जाट, निवासी मिठियातला बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 463 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – मिठियातला , पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं 1118 / 1117, 1119 / 1117 रकबा क्रमशः 0.1177, 1.0878 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO)

10/1/2023
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर
(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 10/01/2023

क्रमांक : वाद / 2022 / 74 to 78

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लूम्बाराम पुत्र जुगताराम
4. विप्रार्थी श्री डूगराराम पुत्र मूलाराम वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / नागाणा।

10/1/2023
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बायतु